



भारतीय लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति में आरक्षण का बदलता प्रयोजन

पारुल खारी

पीएच० डी० शोधार्थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

JETIR

सारांश : राजनीतिक वर्ग ने आरक्षण को चुनाव प्रचार का प्रमुख मुद्दा बना लिया है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार देश की बड़ी पार्टियां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और आरक्षण को अपने घोषणापत्र में प्राथमिकता में जगह दे रहे हैं उससे अब यह समझ पाना तो मुश्किल है कि वर्तमान समय में आरक्षण की आवश्यकता सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अधिक है या चुनाव के दौरान वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए ज्यादा है।

मुख्य शब्द : आरक्षण, लोकतंत्र, राजनीति, राजनीतिक दल, चुनाव, घोषणा पत्र

भारत एक बड़ा राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मो-संस्कृतियों को मानने वाले विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। केवल धर्म या संस्कृति ही नहीं प्रकृति ने भी भारत के विभिन्न राज्यों को विशिष्टता प्रदान की है जिसके आधार पर वहां के लोग स्वयं को दूसरे राज्यों के लोगो से भिन्न महसूस करते हैं। इतनी विभिन्नता होते हुए भी भारत के राज्यों ने उसकी अखंडता को बनाए रखा है। इसीलिए अनेकता में एकता भारत की मुख्य विशेषता है। परंतु कभी-कभी विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों एवं भाषाओं को मानने वाले लोगों के मध्य में वैमनस्य भी देखा जाता है। अनेक अवसरों पर देखा जाता है कि दुनिया के विशालतम लोकतंत्र में किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए आम नागरिकों के मध्य धर्म जाति भाषा के आधार पर मतभेद पैदा कराते हैं और परिणामस्वरूप भारतीय समाज में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर विरोधी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता रहा है।

ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज एक जाति प्रधान समाज था जहां समाज को जातियों के आधार पर पहचाना जाता था। इस जाति प्रधान समाज में एक तबके को समाज से बाहर रखा जाता था, जिसके कारण इस समूह को समाज के बहिष्करण को झेलना पड़ता था। लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार के कारण यह समूह अपना विकास नहीं कर पाया। इस समूह के बहिष्करण के कारण सदियों से यह समय अन्य जातियों के शोषण का शिकार होता रहा है इस शोषित समाज का विकास और उत्थान करने के लिए तथा उनके सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए बहुत से आंदोलन किए गए हैं, परंतु इस समूह के विकास के लिए एक प्रभावपूर्ण रास्ता तब खुला जब इनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए संविधान के द्वारा इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान के द्वारा राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे इन शोषित समुदायों के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था करें। परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शैक्षिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में क्रमशः 12.5%, 7.5% व 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे वर्षों से शोषित समुदाय का उत्थान हो सकें। कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को, दलितों को समाज की मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के साधनों में से आरक्षण एक प्रमुख साधन है (सेठ, 2005)। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों में यदा कदा मतभेद उत्पन्न होते हैं (अग्रवाल एवं अग्रवाल, 1991)। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरक्षण ने इन समुदायों के लिए विकास के रास्ते खोले हैं। परंतु यहां यह कहना भी गलत नहीं होजा कि आरक्षण नीति के परिणाम आशानुरूप नहीं है। यद्यपि प्रारंभ से ही जाति और जाति कोटे को सामाजिक समानता और स्वाभिमान के साधन के रूप में देखा जाने लगा था (उपाध्याय, 2010)। आरक्षण से ही इस शोषित समाज के उत्थान की अपेक्षा थी। इस शोषित व पिछड़े समाज के उत्थान के लिए आरक्षण बेहद जरूरी था। परन्तु वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने से राष्ट्र में आरक्षण के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। हालांकि मंडल कमीशन के लागू होने से दक्षिण भारत में कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया परंतु उत्तर भारत में तो छात्र छात्राओं द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण का बहुत विरोध हुआ। यह 1990 के बहुत बड़े हिंसक आंदोलन का कारण बना। इसके बाद से ही आरक्षण को राजनीति में एक मुख्य साधन के रूप में देखा जाने लगा।

वर्तमान समय में तो आरक्षण राजनीतिक दलों के लिए केवल राजनीतिक लाभ कमाने का तथा चुनाव के दौरान वोट बटोरने का साधन बन गया है। अब आरक्षण एक ऐसा विषय बन गया है जिसको वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में अनदेखा नहीं कर सकते। प्रारंभ में आरक्षण को जातिविहीन समाज की स्थापना के साधन के रूप में देखा गया था, वहीं 1990 के बाद राजनीतिक लाभ के लिए समाज में जातिवाद को और बढ़ावा दिया जाने लगा। जहां एक ओर आरक्षण ने लाभान्वित समुदाय की राजनीति शक्ति और राजनीति को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षण को ही साधन बना लिया। राष्ट्र और उसके लोगों की विविधता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, नए विधायी उपकरणों के माध्यम से, बहिष्कृत पिछड़े वर्ग और जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्यवाही की नीति के माध्यम से पारंपरिक सोच और असमानता को दूर करने के प्रयास किए (छेत्री, 2012)। भारत में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक वर्ग जाति आधारित सामाजिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर चुनाव जीतने में परिपक्व हो चुके हैं तथा जातिगत पहचान को मुख्य वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इसका एक मुख्य कारण आरक्षण नीति है, क्योंकि आरक्षण की नीति ने भारत में जातिवाद को समाप्त करने की जगह उसकी जड़ों को और गहरा कर दिया है (भांबरी, 2005)। राजनीतिक वर्ग ने आरक्षण को चुनाव प्रचार का प्रमुख मुद्दा बना लिया है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार देश की बड़ी पार्टियां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और आरक्षण को अपने घोषणापत्र में प्राथमिकता में जगह दे रहे हैं उससे अब यह समझ पाना तो मुश्किल है कि वर्तमान समय में आरक्षण की आवश्यकता सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अधिक है या चुनाव के दौरान वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए ज्यादा है।

आरक्षण का मुद्दा चुनावों के दौरान एक औजार की तरह प्रयोग किया जाता है (तेलतुंबड़े, 2010)। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2003 में भाजपा ने गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में आरक्षण देने का वादा किया (वर्मा, 2000)। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनावों में आरक्षण का मुद्दा उठाया और अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों को आरक्षण का वादा किया (कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र 2014)। 2014 के राजस्थान विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने आंदोलन से संबंधित बिंदुओं को शामिल किया (भाजपा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2014 घोषणा पत्र)।

चुनावी युद्ध को जीतने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार एवं घोषणा पत्रों के माध्यम से "वर्ग राजनीति" खेलना एक आम किस्सा बन चुका है और अब "आरक्षण" को भी इसी तर्ज पर देखा जाने लगा है। चुनावी मुद्दे के रूप में आरक्षण अपना वास्तविक अर्थ भी खो रहा है। प्रारंभ में शोषित समाज के विकास एवं उत्थान के लिए एक सकारात्मक कार्यवाही के रूप में आरक्षण का जो प्रयोजन था वह वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में लुप्त हो गया है। भारतीय राजनीति के इस दौर में चुनावी रण में वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए आरक्षण को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने के कारण आरक्षण का महत्व तथा अर्थ सर्वथा परिवर्तित हो गया है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आरक्षण सामाजिक बहिष्कृत एवं शोषित पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए नहीं वरन राजनीति में चुनाव में जीत हासिल करने का एक मुद्दा मात्र बनकर रह गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, एस० पी० एवं अगरवाल, जे० सी० (1991) : "एजुकेशनल एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज : एट व्हाट कॉस्ट एंड हाउ ? मंडल कमीशन एंड आफ्टर", अशोक कुमार मित्तल कांसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी A/15 -16, कमर्शियल ब्लॉक, मोहन गार्डन नई दिल्ली 39
- भांबरी, सी० पी० (2005) : "रिजर्वेशन एंड कास्टीज्म", इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 4, इशू न० 9, फरवरी 26-मार्च 4, 2005
- छेत्री, दुर्गा प्रसाद (2012) : पॉलिटिक्स ऑफ सोशल इन्क्लूज़न एंड अपफॉर्मेटिव एक्शन : केस ऑफ इंडिया, द इंडियन जॉर्नल ऑफ पोलिटिकल साइंस, अक्टूबर -दिसंबर 2012, वॉल्यूम 73 नंबर 4 पीपी 587 - 600
- सेठ, डी० एल० (2005): 'अ नोट ऑन अफरनेटिव एक्शन इन इंडिया' इन नेशनल डायलॉग्स ऑन अफरनेटिव एक्शन एंड द एलेक्ट्रोल सिस्टम इन नेपाल: एक्सपीरियंसज फ्रॉम साउथ एशिया, इनेबलिंग स्टेट प्रोग्राम, काठमांडू, आर्गनाइज्ड बाय सगुन एंड इंटरनेशनल आईडीईए
- तेलतुंबड़े, आनंद (2010) : वन मोर रिजर्वेशन, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 45 इशू न० 14 (अप्रैल 3 - 9, 2010)
- उपाध्याय, अमित कुमार (2010) : रिजर्वेशन पॉलिसी एंड इमर्जिंग ट्रेड्स इन यूपी पॉलिटिक्स, द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जुलाई सितंबर 2010 वॉल्यूम 71 नंबर 3, पीपी 805-811
- वर्मा, डॉ दयाराम (2010) : "गुर्जर जाति का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास", गुर्जर साहित्य प्रकाशन समिति, म० न० 1, साउथ गणेश नगर, दिल्ली 92
- लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनावी घोषणा पत्र 2014
- राजस्थान विधानसभा चुनाव, भाजपा चुनावी घोषणा पत्र 2014